उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 441 - विनियम एवं का0वि0नी0 / पाकालि / 2019 - 15 - विनियम / 18 दिनांक 22 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16.08.2019 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली-2019 निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है :-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली-2019

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ 1. (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली-2019 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

इस विनियमावली का लागू होना 2. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी सहयोगी कम्पनियों (डिस्काम एवं केस्को) के समस्त कार्मिक अधिकारी सेवा संवर्ग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पदों पर लागू होगी।

सेवा की प्रस्थिति 3. इस विनियमावली में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों (डिस्काम एवं केस्को) के महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उपमहाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी तथा कार्मिक अधिकारी के समस्त पद समाविष्ट है।

अध्यारोही प्रभाव 4. इस विनियमावली के उपबंध निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी एक्ट-2013 के सेक्शन 179 तथा कम्पनी एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में प्राप्त अधिकारों के तहत बनाये गये किसी अन्य विनियम या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगें।

परिभाषाएं 5. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में,

(1) एक्ट का आशय कम्पनी एक्ट 2013 से है।

(2) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य विनियम--23 में परिभाषित प्राधिकारी से है।

(3) 'निदेशक मण्डल' का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से है।

(4) 'कारपोरेशन' का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है।

(5) 'अध्यक्ष' का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष से है।

(6) 'निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)' का आशय निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) अथवा अन्य किसी ऐसे निदेशक से है जिसे निदेशक मण्डल द्वारा इस विनियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया जाय।

(7) सहयोगी कम्पनी (डिस्काम एवं केस्को) का आशय मध्यांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत

वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड तथा कानपुर विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से है।

(8) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(9) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(10) 'सीधी भर्ती' का आशय विनियमावली के विनियम 7(1) क्रमांक(1) के अन्तर्गत सेवा संवर्ग में के पद पर चयन से है।

(11) 'सरकार' या 'राज्य सरकार' का आशय उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(12) 'राज्यपाल' का आशय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(13) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य, इस विनियमावली के अधीन अथवा इसके लागू होने के पूर्व लागू आदेशों के अन्तर्गत सेवा संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(14) ''आयोग' का आशय विद्युत सेवा आयोग से है।

(15) विभागीय प्रोन्नति समिति का आशय विनियम 7(2) के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(16) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य चयन वर्ष की एक जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

6. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

परन्तु यह कि

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या सक्षम प्राधिकारी, जो पद सृजन हेतु अधिकृत है, उसे आस्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर अथवा अन्य किसी राहत का हकदार न होगा या

(दो) निदेशक मण्डल समय–समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है।

भाग–तीन–भर्ती / पदोन्नति

भर्ती का स्रोत

7. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–

क्र0सं0	पद नाम	भर्ती का स्रोत
1.	कार्मिक अधिकारी	100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
2.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक अधिकारी से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, शत प्रतिशत पदोन्नति हेतु चयन विनियमावली के भाग–6 में दी गई प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
3.	उप महाप्रबन्धक (औद्योगिक संबंध)	सेवा संवर्ग में उपमहाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) के पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति हेतु चयन ऐसे वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की एक

		जुलाई को 12 वर्ष की सेवा जिसमें से 5 वर्ष की सेवा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद की हो, चयन वर्ष की एक जुलाई को पूर्ण कर ली हो, विनियमावली में भाग–6 में दी गई प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
4.	महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध)	सेवा संवर्ग में महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) के पदों पर शत् प्रतिशत पदोन्नति हेतु चयन, ऐसे उपमहप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) से किया जाएगा, जिन्होंने 17 वर्ष की सेवा जिसमें से 5 वर्ष की सेवा उपमहाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) के रूप में चयन वर्ष की एक जुलाई को पूर्ण कर ली हों, विनियमावली के भाग–6 में दी गई प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

(2) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उपमहाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) तथा महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) के पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा–

क्र0सं0	पद नाम	विभागीय पदोन्नति समिति	
1.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	1. प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	अध्यक्ष
		2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	सदस्य
		3. महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	सदस्य
		4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से निम्न न हों।	सदस्य
2.	उप महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) तथा महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध)	1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	अध्यक्ष
		2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	सदस्य
		3. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) द्वारा नामित राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
		4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।	सदस्य
		5. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक प्रतिनिधि जो निदेशक के स्तर से निम्न न हों।	सदस्य

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8.(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों (नान क्रीमी लेयर) तथा सामान्य (आरक्षित) का आरक्षण उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों (उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों) को ही देय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यो में अनूसचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर)तथा सामान्य (आरक्षित) के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।

(3) क्षैतिज आरक्षण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के विधमान नियम, यदि कोई है, के अनुसार होगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता

9.सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता

10. कार्मिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार होगी:–

(क) अभ्यर्थी को हिन्दी का देवनागरी लिपि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

(ग) मानव संसाधन/मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबन्धन/मानव संसाधन एवं औद्योगिक सम्बन्ध के साथ दो वर्षीय पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर प्रोग्राम ।

(घ) **अनुभव**–श्रम औद्योगिक सम्बन्ध व श्रम कल्याण इत्यादि के मामलों में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 01 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

या

मानव संसाधन प्रबन्धन में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 01 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

(च) **वरीयमान अर्हता**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।

नोट:– दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु मान्य न होगा।

आयु 11.– कार्मिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तयां प्रकाशित की जाये, पहली जुलाई को कमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) सामान्य (आरक्षित) और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 12.– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए की वह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। उसे निम्न से अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा,

(i) विश्वविद्यालय या विद्यालय के प्राक्टर या प्रधान शैक्षिक अधिकारी जैसा भी हो, जहाँ से उसने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की हो ।

(ii) दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों (जो सम्बन्धी न हों), जो उसके निजी जीवन से भली भांति परिचित हो , और उसके विश्वविद्यालय , कालेज या विद्यालय से जुड़े न हो ,

परन्तु, यह कि नियुक्ति प्राधिकारी जहाँ आवश्यक समझे अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में अग्रिम अन्य कोई जॉच, किसी अधिकारी/प्राधिकारी से किसी रूप में करा सकता है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले।

टिप्पणी:– भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विद्युत परिषद/कारपोरेशन द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13.– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु यह कि निदेशक मण्डल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 14.– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वस्थता परीक्षण पास कर ले। कार्मिक अधिकारी के पद हेतु शारीरिक स्वस्थता का स्तर वह होगा जो राजकीय विभागो में श्रेणी–2 के राजपत्रित अधिकारियों के लिए निर्धारित है।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पॉच–सीधी भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

15.– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग को भरी जाने वाली रिक्तियां सूचित की जायेगी।

कार्मिक अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया

16.–(1) आवेदन का प्रारूपः– आयोग निर्धारित किये गये प्रारुप पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए मात्र प्रवेश निर्गत होना पद हेतु अर्ह होने की गांरटी नहीं है।

(3) कार्मिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन निम्नानुसार दो चरणीय होगाः–

(अ) लिखित परीक्षा

(ब) व्यक्तिगत साक्षात्कार

(4) लिखित परीक्षाः– प्रश्न पत्र का प्रकार अधिकतम् अंक, कठिनाई स्तर, प्रश्नों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अगले स्तर की परीक्षा हेतु अर्ह होने के लिए लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको का कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। यदि प्रश्न पत्र में एक से अधिक खण्ड है तो आयोग, प्रत्येक खण्ड के लिए अलग–अलग अर्हता अंक का निर्धारण कर सकता है।

(5) व्यक्तिगत साक्षात्कार– साक्षात्कार हेतु कुल अंक, लिखित एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंको के योग के 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के दो गुने से अधिक नही होगी। श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों में न्यूनतम अंक पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए मात्र बुलावा पत्र किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अन्तिम चयन अथवा किसी प्रकार की नियुक्ति की गारन्टी नही होगी।

(6) चयन सूची– अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं वैयक्तिक साक्षात्कार दोनो में प्राप्त अंको के आधार पर आयोग द्वारा चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते है, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक प्राप्त करते है तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं आयु भी बराबर है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में स्थान निर्धारित होगा।

भाग–छः – विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17(1) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर विनियम–7 (1) कमांक–(2) के अनुसार पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए चयन विनियम 7(2) के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) चयन का मापदंण्ड 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' होगी।

उपमहाप्रबन्धक (कामिक प्रबन्ध) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती क प्रक्रिया

18. (1) उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध) के पद पर विनियम–7 (1) कमांक–(3) के अनुसार पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए चयन विनियम–7 (2) के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) चयन का मापदंण्ड 'श्रेष्ठता' होगी।

महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

19.(1) महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध) के पद पर विनियम 7 (1) कमांक–(4) के अनुसार प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए चयन विनियम 7 (2) के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) चयन का माप दण्ड 'श्रेष्ठता' होगी।

भाग–सात – परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

परिवीक्षा

20. (1) कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्ति पर प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियो के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता हैं और यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपविनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उप महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध) तथा महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध) के पदोन्नति के पदों पर परिवीक्षा आवश्यक न होगी।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,उसकी नियुक्ति के पद पर परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि,जैसी भी स्थिति हो, के पूर्ण होने पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(अ) उसने निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर निधारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ब) उसकी सत्यनिष्ठा सतत् प्रमाणित हो,

(स) कारपोरेशन द्वारा उसे स्थायीकरण हेतु समस्त दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया जाय।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ज्येष्ठता विनियमावली, 2019' के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–आठ – नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी

23. सेवा के सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

कम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	कार्मिक अधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	अध्यक्ष
3.	उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध)	अध्यक्ष
4.	महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध)	निदेशक मण्डल

प्रमाण पत्रों का दिया जाना

24. (1) सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से नियुक्ति हेतु संस्तुति किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा होगी कि –

(i) विनियम–12, 13, और 14 में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) घोषणा प्रस्तुत करेगा–

(क) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में नियुक्त किसी व्यक्ति से रिश्तेदारी (सम्बन्धी) होने के सम्बन्ध में।

(ख) उसके ऋण मुक्त होने के संम्बन्ध में ।

(ग) उसके अथवा उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य की निजी अथवा अधिग्रहीत अचल सम्पत्ति, जिसमें मकान भी सम्मिलित हो का संम्पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध प्रारूप पर दिया जायेगा और

(घ) निष्ठा एवं विश्वसनीयता के साथ कारपोरेशन में सेवा करने हेतु परिशिष्ट 'ब' पर निर्धारित प्रारूप पर।

नोटः– (1) नियुक्ति प्राधिकारी जहाँ आवश्यक समझे वहाँ राष्ट्रीयता, आयु, आचरण, शारीरिक स्वस्थता, जाति, शैक्षिक अर्हता, चरित्र, पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में किसी भी रूप से किसी भी अधिकारी से आगे जॉच करवा सकता है। ऐसी जॉच का परिणाम यदि किसी भी रूप में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से सेवा में है, को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा और कार्य भार ग्रहण करते समय 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा पदच्युत किया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र न होगा।

नियुक्ति

25..(1) उप विनियम (2) की व्यवस्थाओं के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी विनियम 16, 17, 18 और 19 जैसा भी हो के अनुसार तैयार की गयी सूची में उल्लिखित नामों के क्रम में नियुक्ति करेगा।

2. यदि किसी चयन के फलस्वरूप एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाये, एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित किया जाय अथवा जैसा उस संवर्ग में था जिसमें से पदोन्नति की गई है, जो भी लागू हो।

प्रशिक्षण

26. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिक अधिकारियों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

भाग–नौ – वेतन एवं भत्ते

वेतनमान

27. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त अधिकारियों का वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) ऐसा होगा जैसा निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल) नीचे दिये गये है :–

क्र0सं0	पदनाम	**वेतन मैट्रिक्स लेवल**
1.	कार्मिक अधिकारी	मैट्रिक्स लेवल–10 रू0 56,100–1,77,500
2.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	मैट्रिक्स लेवल–11 रू0 67,700–2,08,700
3.	उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध)	मैट्रिक्स लेवल–13 रू0 1,31,100–2,16,600
4.	महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्ध)	मैट्रिक्स लेवल–14 रू0 1,44,200–2,18,200

परिवीक्षा अवधि में वेतन

28. (1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में विनियम–27 में उल्लिखित वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा और उसे प्रथम वेतनवृद्धि उसकी एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, कारपोरेशन द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, जब कि कारपोरेशन द्वारा छूट न दी गई हो, प्राप्त होगी, उक्त वेतनवृद्धि उस दिनांक से दी जायेगी जैसा इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेशों में हो। उसे द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा एवं परिवीक्षा पूर्ण करने तथा स्थायी होने पर दी जायेगी, किन्तु यह कारपोरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश से देय होगी।

परन्तु यदि संतुष्टि देने में असफल होने के कारण परिवीक्षा काल बढ़ाया गया है तो उस अवधि को वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं जोड़ा जायेगा जब तक कि इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश न दिये जायें ।

(2) यदि किसी व्यक्ति की वेतनवृद्धि परिवीक्षा अवधि में विनियम–21 में उल्लिखित परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण ही रोकी गई है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वेतनवृद्धि उस अगले माह की पहली तारीख से देय होगी जिस माह में परीक्षा आयोजित की गई हो और वह अवधि जिसमें उसकी वेतनवृद्धि रोकी गयी थी, को वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल में वेतन वृद्धि हेतु जोड लिया जायेगा।

भाग–दस – अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

29. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

वेतन , भत्ते एवं सेवा निवृत्तिक लाभ

30. इस विनियमावली में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ता, अवकाश एवं अन्य सेवा शर्तें कारपोरेशन द्वारा तत्समय लागू किये गये विनियमों से शासित होगी।

व्यावृत्ति

31. इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए, ऐसे व्यक्तियों की सेवा शर्तें, जो सेवा संवर्ग में किसी पद पर या ऐसे पद पर, जो सेवा संवर्ग से अतिरिक्त घोषित हो, या राज्य सरकार से बाह्य सेवा पर या अन्य कही से प्रति नियुक्ति पर तैनात है, तब तक उन नियमों एवं शर्तो से संचालित होगी, जो कारपोरेशन और राज्य सरकार के मध्य या अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों के मध्य तय हो या तय की जायें, जब तक कि वह कारपोरेशन की सेवा में संवलीन न हो जाय।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों, जो कारपोरेशन में संविलीन होगे, कारपोरेशन के विनियमों से शासित होगें।

शिथिलता

32.(1) कारपोरेशन द्वारा नियुक्त और इस विनियमवाली से शसित किसी व्यक्ति के प्रकरण में न्याय संगत और समानता के आधार पर निर्णय लिए जाने में, इस विनियमावली का कोई विनियम बाधक न होगा।

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति के प्रकरण में पूर्व में लागू रहे विनियम लागू होते हैं, तो उसका निस्तारण इस प्रकार से किया जायेगा, जो तत्समय लागू विनियमावली की व्यवस्था से कम लाभप्रद न हो।

(2) यदि कारपोरेशन के मत से ऐसा करना आवश्यक है, कारपोरेशन इन विनियमों की शर्तो को शिथिल करते हुए अथवा उसके कुछ भाग को आँशिक रूप से शिथिल करते हुए सेवा में नियुक्ति या नियुक्तियाँ कर सकता है और किसी नियुक्ति के मामले में जो इन विनियमों का कड़ाई से पालन किये बिना की गई हो, यह माना जायेगा कि उक्त नियुक्तियॉ इन विनियमों में छूट प्रदान करते हुये की गई है।

प्रतिनिधायन

33 इस विनियमावली के अन्तर्गत कारपोरेशन आवश्यक समझने पर अपने अधिकार किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकता है अथवा इस विनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्राप्त अधिकार किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकता है।

विनियमावली की व्याख्या

34. इस विनियमावली के किसी विनियम, उप विनियम या प्रस्तर की व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी संशय या विरोधाभाषी व्याख्या की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम एवं बाध्यकारी होगी

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

परिशिष्ठ–'अ'
(देखे विनियम–24 के उप–विनियम–1(ii)का प्रस्तर(ग))
घोषणा का प्रारूप
(अ)

(उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पति नही है। यदि आज के बाद मैं कोई अचल सम्पत्ति अधिग्रहीत करूँगा/करूँगी तो उक्त सम्पत्ति के अधिग्रहीत होने की जानकारी प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उक्त तथ्य की घोषणा करूँगा/करूँगी।

(ब)
(उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है)

भू–सम्पत्ति

भूमि जहाँ स्थित है			क्षेत्रफल एकड़ में	अधिग्रहीत या पैत्रिक, यदि अधिग्रहीत तो अधिग्रहण का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जिला	तहसील	गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8

भवन सम्पत्ति

भवन जहाँ स्थित है		भवनों की संख्या	अधिग्रहीत या पैत्रिक यदि अधिग्रहीत तो अधिग्रहण का दिनांक	रहने हेतु प्रयुक्त या किराये पर उठाया गया	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
गाँव, कस्बा या शहर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8

भविष्य में यदि मैं कोई अचल सम्पत्ति अधिग्रहीत करूँगा/करूँगी तो मैं उसकी घोषणा उपर्युक्त प्रारूप पर अधिग्रहण की जानकारी प्राप्त होने के एक माह के अन्दर करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर.......................................
पदनाम...
दिनांक...

नोट :– भवन या भूमि जो रेहन अथवा लीज पर ली गई हो, को अचल सम्पत्ति माना जायेगा।

ऐसी सम्पत्ति, जो किसी अधिकारी की पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य, जो संयुक्त हो, या साथ रहते हो, या किसी रूप में उस पर आश्रित हों, को इस घोषणा हेतु उक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्रबन्धित मानी जायेगी।

(स)

(उनके लिए जिनमें पास कोई शेयर अथवा पूंजी निवेश न हो)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई शेयर अथवा निवेश नहीं है । यदि आज के बाद मैं कोई शेयर लूँगा अथवा अन्य निवेश करूँगा तो इस तथ्य की घोषणा समय–समय पर करता रहूँगा।

हस्ताक्षर..................................
पदनाम....................................
दिनांक....................................

(द)

(उनके लिए, जिनके पास शेयर या अन्य प्रकार के निवेश हैं)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित विवरण के अनुसार शेयर अथवा अन्य निवेश है:–

शेयर

क्र0सं0	विवरण	प्राप्त करने का दिनांक	प्रत्येक शेयर का मूल्य	धारित शेयर की संख्या	शेयर का कुल मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

निवेश

क्र0सं0	विवरण	निवेश का दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि आगे मेरे द्वारा कोई शेयर प्राप्त किया जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार से निवेश किया जाता है तो उक्त की घोषणा समय–समय पर करता रहूँगा।

हस्ताक्षर..................................
पदनाम....................................
दिनांक....................................

परिशिष्ठ–ब

(देखे विनियम–24 के उप विनियम–1(ii) का प्रस्तर (द))

निष्ठा की शपथ

मैं निष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अपनी सेवाकाल में मैं सदैव कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा रखूँगा और कारपोरेशन की सेवा में कर्तव्य निर्वहन या अन्य प्रकार में जो तथ्य मेरी जानकारी में आयेगे उनकी गोपनीयता सदा बनाये रखूँगा/रखूँगी और उक्त सूचनाओं को किसी को भी नही दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर..................................
पदनाम....................................
दिनांक....................................

संख्या: 441 (I)–का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29/पा०का०लि०/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0 लि0।
15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16.08.2019 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में
20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)

संख्या: 441 (II)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि **जन सम्पर्क / विज्ञापन अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विनियमावली को समाचार पत्रों (हिन्दी दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया अंग्रेजी के लखनऊ संस्करण) में अधिसूचित कराते हुए अनुभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)